

वन अंधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित
जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है जनपद पीलीभीत में पीलीभीत बस्ती मार्ग के किमी 0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के किमी 0 372 तक पीलीभीत बाईपास निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के कार्य में प्रस्तावित 0.1021 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, बरेली के कार्यालय में प्रेषित किया जा चुका है, प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

28-1-22
(संतोष पाण्डेय)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पीलीभीत